न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 2/2014 (2013/00129)

1. हरिराम शर्मा पुत्र श्री कल्याण जाति ब्राम्हण निवासी अजमेरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

———वादीगण

♠ बनाम ♠

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राम्हण
   निवासी झाड़ली तहसील मालपुरा हाल निवासी गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

——— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14.5.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके गुलगांव तहसील केकडी मे स्थित है। आराजी निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
[redacted]–130	2550/2922	0.15	जा0 3 चा0 3
	2555	0.94	जा0 3 चा0 3
	2555/2834	0.14	बा0 1
	2556	0.02	गै.मु.चाह
	2557	1.92	बा0 1
	कुल किता 5	कुल रकबा 3.17	

उक्त वर्णित आराजीयात रालस्व रेकार्ड में ग्यारसा वल्द गंगाराम माली व दौलतसिंह पुत्र. श्री रणजीतसिंह जाति राजपूत सा०देह ब–हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज थी । जो दौनो के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही थी। गुरुकिदौलतसिंह के 1ध्2 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की है, जो जर्ये नामान्तकरण 1205 संख्या दिनांक 06–02–2013 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदार अंकन हुई है,तथा गंगाराम के 1/2 हिस्से की आराजीयात को वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की है,जो जर्ये नामान्तकरण संख्या 1205 दिनांक 05–09–2013 से वादी के नाम दर्ज हुई । उक्त वर्णित आराजीयात के वादी व प्रतिवादी संख्या–1 1/2, 1/2 हिस्से के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है, तथा यह आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व व आधित्पय में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत बद है,तथा उसने दिनाक 29–11–2013 को वाद वर्णित आराजीयात का बिना विधिवत विभाजन कराये, वाद वर्णित आराजीयात पर अपनी लाठी की ताकत पर, पुख्ता निमार्ण करने के उद्देश्य से निमार्ण सामग्री डाल दी है, तथा पुख्ता निमार्ण करने पर आमादा है,तथा वादी के
संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी में बाधा उत्पन्न कर बैदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादी सं0 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा वादी की वाद वर्णित आराजीयात में बिना विधिवत विभाजन कराये नीवें बगैरह खोदने, पुख्ता या खाम निमार्ण करने से, व वादी के संयुक्त के कब्जे काश्त ,स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने से, तथा जबरन बैदखल करने आराजीयात को नष्ट... भ्रष्ट करने जाने से रोका जाना, तथा भविष्य में भी इस प्रकार का कार्य कार्यवाही नही करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। यदि प्रतिवादीगण सं0 1 अपने नाजायज उद्धेश्य में कामयाब हो जाता है, तो वादी को अजहद क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना किसी सम्भव नही होगा। तथा वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अपनी खरीदशुदा, संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात से सदैव के लिये बेदखल हो जायेगा, जिससे वादी के हितो व अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा,तथा अनेकानेक कानूनी कार्यवाहियो व विवादो की उत्पत्ति होगी, जिससे वादी बिना वजह खर्चे से जैरबार हो जायेगा।

वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण उपरोक्त कारणो से ब––मुकाम गुलगांव तहसील केकड़ी में प्रथम बार दिनांक 29–11–2013 को उत्पन्न हुआ ,तथा उसके पश्चात दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी सं0 2 लेण्डहोल्डर होने तथा राज0 सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार सा० केकड़ी वाद वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड का संधारण करते है तथा लगान वसूल करते है,अतः उन्हे वाद में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। राज0 सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं, उसके नोकर चाकर, व अन्य रिश्तेदार को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन अपने वाद पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पैश नही किया अतः जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जर्ये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे सामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार हैः–

वाद संख्या 2 सन 2014 की पालना में खसरा नंबर 2557 किता 5 रकबा 3.17, खाता संख्या 805 का मौका देखने पहुचा। मौके पर उपस्थित लोलो द्वार बताया गया। कि खसरा संख्या 2557 रकबा 1.92 पर एक 4मीटर दीवार बनी हुई है सडक से लगकर और वर्तमान के दीवार क्षतिग्रस्त है। खसरा संख्या 2557 पर लोगो द्वारा कब्जा दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण ब्राम्हण का होना बताया गया। अन्य खसरे 2555 रकबा 0.94 व 2556 रकबा 0.02 गै.मु.चाह पर कब्जा कमला पत्नि नारायण माली का होना बताया गया। मौके पर उक्त सरसों की फसल काश्त की हुई है। वादी व प्रतिवादी को सूचित किया गया जरिये दूरभाष। मौके पर हस्ताक्षर करवाये गये।

पत्रावली शहादत वादी में हरिराम का शपथ पत्र पैश किया गया, प्रतिवादी द्वारा जिरह नही करना चाहते व न ही शहादत करवाना चाहते है। शहादत बन्द की गई। बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। तथा वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकडी के खाता संख्या 156–130 के कुल किता 5, कुल रकबा 3.17हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 1 व उनके रिश्तेदार को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वर्णित आराजीयात में बिना विधिवत विभाजन कराये वादी के संयुक्त के कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात में काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने तथा न ही आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट करे हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत एवं
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner